राजस्थान–सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ1(83)पीएस/निकाशि/13/1226 दिनांक :– 7/11/2013

–: संशोधित आदेश :–

इस विभाग के आदेश क्रमांक: एफ1(83)पीएस/निकाशि/2013/1006 व 1013 दिनांक 05.09.13 की अंतिम पंक्ति में वर्णित 'इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा' के स्थान पर 'इन्हें यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा' पढा जावे।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक :– एफ1(83)पीएस/निकाशि/13/1227-31 दिनांक :– 7/11/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्बन्धित प्राचार्य।
2. सम्बन्धित अधिकारी।
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. स्थापना शाखा/रक्षित पत्रावली।

7/11/2013
संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर